

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/361/2024, लखनऊ :: दिनांक 02 अप्रैल, 2024
--: संशोधित आदेश ::--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण झॉसी पीठ झॉसी ने पत्र संख्या-102/2024 दिनांक 30.03.2024 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 11.04.2024 को ईद-उल-फितर का अवकाश सम्भावित है। अतः आगरा में पूर्व गठित खण्ड पीठ दिनांकित 08.04.2024 से 12.04.2024 तक के स्थान पर तीन दिवसीय किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0 251/2024 दिनांक 04.03.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए आगरा में दिनांक 08.04.2024 से दिनांक 10.04.2024 तक युगल गठित की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी। तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-02.04.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/100/2024 दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, झॉसी पीठ झॉसी।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ -2 आगरा।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।